

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1.	श्रीमती सरोज अध्यापक लेवल-2 (सामाजिक विज्ञान)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरियावाली ढाणी, लॉक पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़	01.01.1966	AUSTRALIA दिनांक: 17.04.2022 से 28.05.2022 (कुल 42 दिवस)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानमुड़क अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्ण निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का इस्तातरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विनाशीय जाघ/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लघित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेशी प्रवास में उहरने का पूर्ण पता भयोडाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अध्यापक विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्वतंत्र से विदेशी मुदा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(काना राम)
I.A.S.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—मा/संख्या/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2021/पार्ट-1/ 347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनारूप एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर संभाग, बीकानेर।

2- संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), माध्यमिक, हनुमानगढ़।

3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वालत।

4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।

5- रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 30 MAR 2022

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अनुसर प्रदान की जाती है,
जिमका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	नाम कार्मिक नम्बर पट	पदस्थापन स्थान	प्रज्ञापन	विदेश यात्रा का जाने का स्थान व अवधि
1	भीमती बलदीर कौर अधीष्ठित लेवल-1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखमीसर, दलोक पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़	12.12.1972	PAKISTAN दिनांक: 13.04.2022 से 13.04.2022 (कुल 01 दिन)

शर्त :-

- कार्मिक शक्ति अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रवाहित करेंगे।
- अधिकारी विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपरिधित प्रदान नियम जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपरिधित रहता है तो उसका कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपरिधित रह गया जावेगा एवं उसके विरुद्ध आईएसआर 1951 के नियम 86 के प्रावधानात्मकता कार्यवाही अमल में लायी जाकर निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक दार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से रिजवाया गया त्वागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सदाम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्ण विनाशित की दूषित अविशार्य जाति का लेप :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का शजाहानी लेप/विनाश कार्य होगायी होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का इस्तेतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यालयी विशेषज्ञता उपर्युक्त विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई व्यायिक प्रकरण लिपित/विवरणीय नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उत्तर स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही माप्त है।
- विदेश यात्रा पर प्रथानन करने से पूर्ण सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रयास में छहरने का पूर्ण पता नम्बर भोवाईट नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अधिकारी विदेश यात्रा के दौरान सञ्चय सरकार के भाग्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न हो राजनीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाइ जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- दौरान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी सजाकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता नेंग नहीं की जावेगी।



संत्यमेव जयते

संतुष्ट निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा संस्थान
बीकानेर

दिनांक 30 MAR 2022

- * क्रमांक. शिविर-गा / संस्था / एफ-3 / 13320 / विदेश यात्रा / 2021 / ३१।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित -
- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर संभाग, बीकानेर।
 - 2- जिला शिक्षा अधिकारी (गुरुद्यालय), माध्यमिक, हनुमानगढ़।
 - 3- रिसर्टम एनालिस्ट कम प्रोग्राम, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैश्वाईट पर अपलोड करने आवश्।
 - 4- संगठित रस्ता प्रधान/कार्मिक।
 - 5- रक्षण वक्ताधीन।

संतुष्ट निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है,
जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	नाम कार्मिक मध्य पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती सुखविंद कौर, विरिचु अध्यापक (पञ्चायी)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 एफ.ए. रडेलाला, ब्लॉक करणपुर, ज़िला श्रीगंगानगर	01.01.1979	CANADA दिनांक: 20.05.2022 से 19.06.2022 (कुल 30 दिवस)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् वहाँ कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा भाना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर '1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्भाव कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जाएगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेये :-
 - कार्मिक ने अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जाच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान घरने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता भय मोबाइल नम्बर अंति सुनित करें।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्तोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।




संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 30 MAR 2022

कमाक शिविरा-पा/रास्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2021/ 210
प्रतिलिपि निम्नांकित वो सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (रकूल शिक्षा), बीकानेर संभाग, बीकानेर।
- 2- ज़िला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, श्रीगंगानगर।
- 3- सिरटग एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वाले।
- 4- संघित रसायन प्रधान/कार्मिक।
- 5- रक्षित पत्रादली।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)